

122



न्यायालय माननीय सदस्य महोदय मध्य प्रदेश राजस्व मंडल

निकरानी-4814/2018 देवास/खजुरिया (म.प्र.)

की बात को लेकर  
कोम. 627  
म. प्र. 22/6/18

R.K.W.  
Advocate  
R.K.W.

पुनरीक्षण पत्र क्रं. .... / ..... / 2017-18

1. मेहरवानसिंह पिता गिरधारीलाल कुशवाह उम्र ..... साल जाति काछी कृषक ग्राम खजुरिया कंका निवासी ग्राम लोंदिया तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
2. बहादुरसिंह पिता गिरधारीलाल कुशवाह उम्र ..... साल जाति काछी कृषक ग्राम खजुरिया कंका निवासी ग्राम लोंदिया तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
3. ज्ञानसिंह पिता गिरधारीलाल कुशवाह उम्र ..... साल जाति काछी कृषक ग्राम खजुरिया कंका निवासी ग्राम लोंदिया तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
4. सुरेशसिंह पिता गिरधारीलाल कुशवाह उम्र ..... साल जाति काछी कृषक ग्राम खजुरिया कंका निवासी ग्राम लोंदिया तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
5. भादरसिंह पिता भेरुसिंह कुशवाह उम्र ..... साल जाति काछी कृषक ग्राम खजुरिया कंका निवासी ग्राम लोंदिया तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
6. प्रेमसिंह पिता चैनसिंह कुशवाह उम्र ..... साल जाति काछी कृषक ग्राम खजुरिया कंका निवासी ग्राम लोंदिया तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
7. उत्तमसिंह पिता प्रेमसिंह कुशवाह उम्र ..... साल जाति काछी कृषक ग्राम खजुरिया कंका निवासी ग्राम लोंदिया तह. सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

निरंतर.....2

/02/

8. जितेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह कुशवाह उम्र ....  
.. साल जाति काछी कृषक ग्राम खजुरिया  
कंका निवासी ग्राम लोंदिया तह.  
सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
9. मानसिंह पिता जगन्नाथसिंह कुशवाह उम्र  
..... साल जाति काछी कृषक ग्राम  
खजुरिया कंका निवासी ग्राम लोंदिया तह.  
सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.  
.....पुनरीक्षणकर्ता/अधिपत्यधारी भूमिस्वामी  
विरुद्ध

1. धापुबाई पति लालसिंह वयस्क जाति  
राजपुत व्यवसाय गृहणी निवासी ग्राम  
खजुरिया कंका तहसील सोनकच्छ जिला  
देवास म.प्र.
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक  
वत्त-2 सोनकच्छ तहसील सोनकच्छ  
जिला देवास म.प्र.

.....गैरपुनरीक्षणकार/प्रार्थी


पुनरीक्षण पत्र धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959 के अधिन  
(माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय  
तहसील सोनकच्छ के अधिन राजस्व निरीक्षक  
वत्त-2 सोनकच्छ के प्रकरण क्रमांक  
386/आर-1/2018 सोनकच्छ के अवेध विधिविरुद्ध  
सीमांकन, प्रतिवेदन दिनांक 22.03.2018 के विरुद्ध)

माननीय न्यायालय,

यह कि, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षणपत्र गैर  
पुनरीक्षणकार के विरुद्ध अवधी में सादर प्रस्तुत है :-

1. यह कि, पुनरीक्षण क्रमांक 01 लगायत 04 ने पंजीकृत बयनामा क्रमांक  
264 दिनांक 02.06.2000 को ग्राम खजुरिया कंका तहसील सोनकच्छ पटवारी हल्का





 निरंतर.....3

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4814/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.18 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> प्रशासकीय सदस्य</p>	